+2

नशा : दुष्प्रभाव-II

"नशीले पदार्थों का सेवन समय की बर्बादी है। ये आपकी स्मरणशक्ति, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास के साथ जो कुछ भी जुड़ा हो, उसे नष्ट कर देते हैं"-- कर्ट कोबैन

आज के समय के 'नशे की लत' हमारे समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। पिछली श्रेणी में हम जान चुके है कि नशा हमारी ज़िन्दगी के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है भले ही वह सामाज़िक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या कोई भी हो। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करता है बल्कि शारीरिक रूप से अनेक बीमरियों तथा समस्याओं को जन्म देता है और कई बार अपराध की दुनिया तक भी ले जाता है।

आओ, इसके दुष्प्रभावों के विषय में जानें-

विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव :-

(क) स्वास्थ्य पर प्रभावः-

क्रम संख्या	नशीले पदार्थ का नाम	प्रभाव
1	ऐल्कोहल	ऐल्कोहल केन्द्रीय तंतु प्रणाली की प्रतिक्रिया को दुर्बल बना देती है, (ज़िगर) यकृत को हानि पहुँचाती तथा व्यवहार मतवाला सा बना देती है। यह तालमेल और सोच विचार करने की योग्यता को कमज़ोर करती है ।
2	अफ़ीमी पदार्थ (अफ़ीम, हैरोइन, मार्फ़िन आदि)	अफ़ीम, हैरोइन, मार्फ़िन आदि अफ़ीमी पदार्थों का सेवन करने से आँखों की पुतलियाँ संकुचित हो जाती हैं, रात को कम दिखाई देने लगता है, रक्तचाप और दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और साँस फूलने तथा थकावट अनुभव होने लगती है।
3	भाँग से बने पदार्थ (गाँजा, भाँग, चरस)	इससे विचारों में असमंजस, सुस्ती, नींद, उत्तेजना, बीमारी आदि का अनुभव होने लगता है। यह स्मरणशक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालती है।
4	शांत करने वाले पदार्थ	इनका अधिक मात्रा में सेवन करना बोलने में थथलाहट, स्मरणशक्ति के दुर्बल होने, लड़खड़ाने, अनुचित निर्णय लेने आदि का कारण बनता है।
5	कोकेन	इससे उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, स्वभाव में अस्थिरता तथा चिड़चिड़ापन आ जाता है।

		इसके प्रयोग से हृदय रोग दिल का फेल हो जाना, दिल की धड़कन का अनियमित होना, अनिद्रा और चिंता का रोग भी हो सकता है। इसके अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है।
6	भ्रम पैदा करने वाले पदार्थ	इन पदार्थों का प्रयोग दिमाग को ऐसी हानि पहुँचाता है जिसे कभी सही नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क की रक्त-नलिकाएँ फट जाती है और व्यवहार में उत्तेजक परिवर्तन आ जाते है
7	तम्बाकू	यह दमा रोग का कारण बनता है। इससे फेफड़ों,मुँह,कंठ नली गला, गले, भोजन नली, अमाशय, गुर्दों, मूत्राशय पित्ताशय या बड़ी आँत का कैंसर हो जाता है। हृदय की रक्त वाहिनी नलिकाओं में खराबी हो जाने से दिल का दर्द और दिल का दौरा पड़ने का संबंध भी तम्बाकू के प्रयोग के साथ जुड़ा हुआ है।
8	वाष्पशील पदार्थ (पैट्रोल, थिनर आदि)	इनको सूँघने से जो नशा होता है वह दिल, जिगर और गुर्दों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इनमें से कुछ पदार्थ तो बाह्य तंतु प्रणाली पैरों और टाँगों की नसों और मस्तिष्क का विनाश कर सकते है।

(ख) शिक्षा और व्यवसाय पर प्रभाव :- नशा करने वाले किसी भी व्यक्ति की अपनी शिक्षा और कार्य तथा व्यवसाय में निरन्तरता और कुशलता नहीं रहती। वह अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देता है, अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर बेरोज़गार ही रह जाता है। अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसके संबंध बिगड़ जाते हैं और वह कठिनाइयों से घिर जाता है।

(ग) परिवार पर प्रभावः- पारिवारिक संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति घर के किसी भी कार्य में सार्थक योगदान देने की बजाए घर के साधनों को ही व्यर्थ गँवा देता है। इन बातों का उसके वैवाहिक जीवन और उसके बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(घ) सामाजिक प्रभावः- समाज एक नशेबाज़ की तथा नशेबाज समाज की उपेक्षा करता है जिससे धीरे-धीरे समाज और नशेबाज के बीच एक गहरी खाई पैदा हो जाती है।

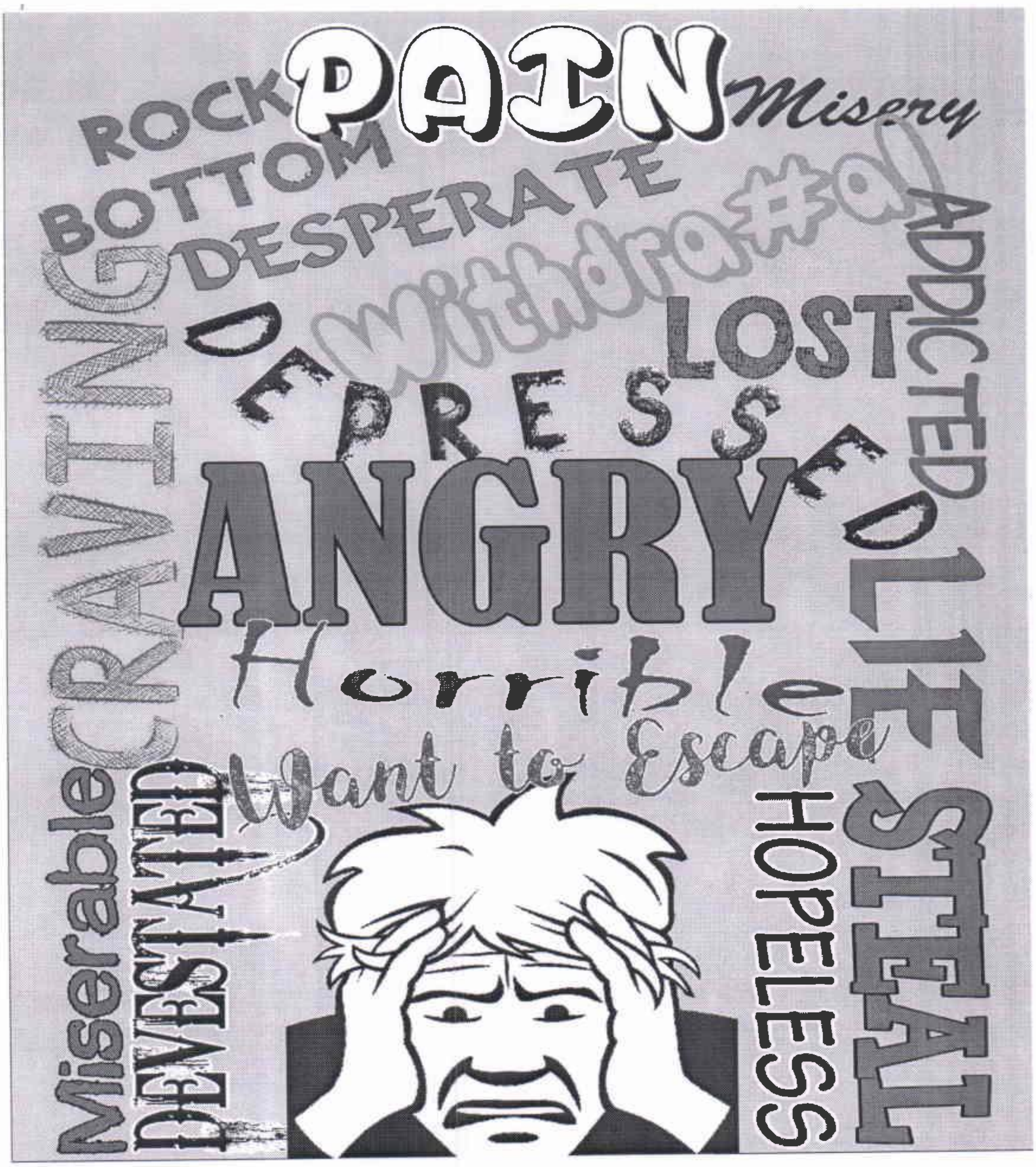

(च) कानूनी तथा आपराधिक प्रभावः- एक नशेड़ी कई तरह से कानूनी समस्याओं में उलझ जाता है, जैसे कि मदिरा पान करके गाड़ी चलाना, लड़ाई-झगड़े करना, सार्वजनिक झमेले खड़े करना, नशे की अवस्था में दुर्घटनाएँ करना, नशीले पदार्थ घर में रखना तथा इधर-उधर भेजने या बेचने के चक्कर में फँस जाना आदि। वह लगातार भय तथा अनिश्चितता का जीवन जीता है।

द नार्कोटिक ड्रगज़ एंड साइकोट्रोपिक सबस्टंसिज़ एक्ट 1985:-
इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नशीली दवाई या नशीला पदार्थ पैदा करना, बनाना, उगाना, अपने पास रखना, बेचना, सम्भालना, कहीं लेकर जाना या प्रयोग करना ग़ैर कानूनी है। इस कानून के तहत 20 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है जो कि पकड़े गए नशीले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है।

अपराध और उनसे संबंधित सज़ा

अपराधः- पोस्त, भाँग या कोका के पौधों की बिना लाइसैंस खेती करना

सैक्शनः- पोस्त 18 (सी), भाँग-20, कोका-16

सज़ाः- 10 वर्ष तक की कठोर कैद तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना

अपराधः- लाइसैंस प्राप्त किसान की ओर से अफ़ीम का ग़बन किया जाना

सैक्शन-19

सज़ाः- 10 से 20 वर्ष तक ही सख्त कैद तथा 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना

अपराध :- नशीले पदार्थों की पैदावार, बनाना, रखना, क्रय-विक्रय करना, इधर-उधर लेकर जाना, आयात-निर्यात करना, प्रयोग करना

सैक्शन :- पोस्त-18, अफ़ीम-17, भाँग-20, बनाई गई नशीली दवाएँ-21

सज़ाः- कम मात्रा-6 महीने तक की सख्त कैद या 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना या दोनों

अधिक मात्रा परंतु व्यापारिक मात्रा से कम-10 वर्ष तक की सख्त कैद तथा एक लाख तक का जुर्माना

व्यापारिक मात्राः- 10 से 20 वर्ष तक की सख्त कैद तथा 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना

अपराधः- नशीले पदार्थों का आयात-निर्यात या एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जाना

सैक्शन-23

सज़ाः-ऊपरलिखित

अपराधः- नशीले पदार्थों का विदेशों में आदान-प्रदान या ऐसे व्यापार को नियंत्रित करना जहाँ नशीले पदार्थों को भारत से बाहर ही हासिल करके भारत से बाहर ही सप्लाई किया जाता है।

सैक्शन-24

सज़ाः- 10 से 20 वर्ष तक की सख्त कैद , 1 से 2 लाख तक का जुर्माना

अपराधः- जानबूझ कर या स्वेच्छा से अपनी किसी सम्पत्ति को अपराध के लिए प्रयोग किए जाने की अनुमति देना

सैक्शनः- वही जो उस अपराध के लिए लागू है

सज़ाः- वही

अपराधः- नियंत्रित किए गए पदार्थों से संबंधित अतिक्रमण

सैक्शनः- 25 ए

सज़ाः- 10 वर्ष तक की कठोर कैद , 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना

अपराधः- अपराधियों के आवागमन के लिए धन जुटाना और उन्हें आश्रय देना।

सैक्शनः- 27 ए

सज़ाः- 10 से 20 साल तक की सख्त कैद तथा 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना

अपराधः प्रयत्न करना, उकसाना तथा आपराधिक षड़यंत्र गढ़ना

सैक्शनः कोशिश 28, उकसाना और आपराधिक षड़यंत्र 29

सज़ाः जो उस अपराध के लिए निश्चितय है।

अपराधः अपराध करने की तैयारी करना

सैक्शन-30

सज़ाः- उस अपराध के लिए निश्चित की गई सज़ा से आधी।

अपराधः- दुबारा जुर्म करना

सैक्शनः- 31, मृत्यु 31- ए

सज़ा:- उस अपराध के लिए निश्चित की गई सज़ा से डेढ़ गुणा, कई केसों में मौत की सज़ा भी

अपराध:- नशीले पदार्थों का उपभोग करना

सैक्शन: 27, इम्म्यूनिटी-64

सज़ा:- कोकेन, मारफ़ीन, हैरोइन- 1 वर्ष तक की सख्त कैद या 20 हज़ार रुपए तक का जुर्माना या दोनों।

अन्य नशीले पदार्थ- 6 महीने तक की कैद या 10 हज़ार रुपए जुर्माना या दोनों

जो नशेबाज इलाज के लिए पेश हो जाएँ , उन्हें सज़ा से छूट

अपराध:- जिन उल्लंघनाओं का अन्य किसी स्थान पर भी उल्लेख नहीं किया गया।

सैक्शन:- 32

सज़ा:- 6 महीने तक की सख्त कैद या जुर्माना या फिर दोनों

नशे की आदत या लत की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए जाने की जरूरत है। इसके लिए पोस्टर, बैनर, रैलियों, खेलों तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता पैदा करनी चाहिए। एक विद्यार्थी समाज को खुश, तंदरुस्त तथा नशा मुक्त करवाने के लिए जागरुकता उत्पन्न करने में बड़ा योगदान डाल सकता है।

अभ्यास

प्रश्न 1. नशा-उपभोग के सामाजिक प्रभाव क्या्-क्या हैं ?

प्रश्न 2. तम्बाकू को किस अर्थ में एक हत्यारा कहा जा सकता हैं ?

प्रश्न 3. कोकेन का सेवन करने से किस प्रकार की शारीरिक हानि होती है ?

प्रश्न 4. वाष्पशील पदार्थ किसे कहते हैं ? नशे के तौर पर इनका प्रयोग किस प्रकार हानिकारक होता है ?

प्रश्न 5. नशे की आदत किसी व्यक्ति के शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है ?

प्रश्न 6. नशा खोरी के सामाजिक प्रभाव क्या-क्या होते है ?

प्रश्न 7. एक नशाखोर कानूनी समस्याओं में कैसे उलझ जाता हैं ?

प्रश्न 8. नशीले पदार्थों की रोकथाम का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग पर है ?

प्रश्न 9. द नार्कोटिक ड्रगज़ एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 क्या है ?

प्रश्न 10. बिना लाइसैंस लिए नशीलें पदार्थों का उत्पादन करने की क्या सज़ा है ?

प्रश्न 11. लाइसैंस प्राप्त किसान की ओर से अफ़ीम का ग़बन करने पर कौन से सैक्शन के अधीन कौन सी सज़ा होती है ?

प्रश्न 12. नशे का सेवन करना क्या एक अपराध है ? यदि हाँ, तो इसकी क्या सज़ा है ?